

तक संपादित
नित आवाहन देय
गय ।
भुगतान पक्ष किया

संख्या-42/2009 798

वि०, (२)

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक 11/2/09

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

सभी आरक्षी अधीक्षक

विषय:-

सरकारी कार्य से पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में देर रात तक अथवा अवकाश के दिन में कर्तव्य पर उपस्थित रहने के फलस्वरूप उनकी अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था हेतु दर निर्धारण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों को निपटाने के क्रम में पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देर रात तक अथवा अवकाश के दिन में कार्यालय में रुक कर भी सरकारी कार्य संपादित करना पड़ता है । उनके अल्पाहार/भोजन की व्यवस्था किए जाने के लिए कार्यालय व्यय के मद से राशि खर्च की जाती रही है किन्तु विभिन्न विभागों/कार्यालयों में इस हेतु दर में एकरूपता नहीं रहने के कारण अलग-अलग दर से राशि को भुगतान किया जाता रहा है । जिसके फलस्वरूप अंकेक्षण दल द्वारा लेखा जाँच के क्रम में आपत्तियाँ की जाती हैं ।

2. सरकारी कार्य से कर्तव्य पर देर रात तक अथवा अवकाश के दिन में रुक कर अत्यावश्यक सरकारी कार्यों के संपादन हेतु दर का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अत्यावश्यक सरकारी कार्यों के संपादन हेतु देर रात तक एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय में कर्तव्य पर उपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अल्पाहार एवं भोजन के मद में कार्यालय व्यय मद से क्रमशः 25/- (पच्चीस) रुपये एवं ₹0-60/- (सोठ रुपये) मात्र प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया जाएगा ।

विश्वासभाजन,

10/2

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

10/02